"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र 5, 1932)

क्रमांक-167/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010), जो दिनांक 26 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 15 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन, अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 में, शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "सात हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-ख का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "पांच हजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-ग का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उपधारा (एक) में, शब्द "पांच सौ पंचानबे" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 7 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार छ: सौ पचास" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है. अतएव छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) में संशोधन प्रस्तावित है.

2. **अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.**

रायपुर,
तारीख 25 मार्च, 2010

बृजमोहन अग्रवाल
संसदीय कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2, 3, 4 एवं 5 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 1,62,50,000.00 (रुपये एक करोड़ बासठ लाख, पचास हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 3, 4, 4-ख, 4-ग एवं धारा 7 की उपधारा (1) का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 3 प्रत्येक सदस्य को "एक हजार पांच सौ" रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.

धारा 4 प्रत्येक सदस्य को "पांच हजार" रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

धारा 4-ख प्रत्येक सदस्य को "एक हजार" रुपये प्रतिमाह की दर से अर्दली भत्ता दिया जायेगा.

धारा 4-ग (एक) प्रत्येक सदस्य को "पांच सौ पंचानबे" रुपये की दर से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

धारा 7 (1) प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास "एक हजार छः सौ पचास" रुपये का चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2010.